न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मेड़ता

बईजलास श्री हीरालाल मीना, आ.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 415/2018

वादीगण :–

1. सायरीदेवी पत्नी स्व. मांगूराम, जाति जाट, निवासी गांव जावली, तहसील मेड़ता, जिला नागौर।
2. प्रदीप पुत्र स्व. मांगूराम, जाति जाट, निवासी गांव जावली, तहसील मेड़ता, जिला नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. गीता पुत्री स्व. मांगूराम व पत्नी श्री भंवरलाल, जाति जाट, निवासी लटियालों का बास, मेड़तारोड़ तहसील मेड़ता जिला नागौर।
2. शारदा पुत्री स्व. मांगूराम, पत्नी रतनलाल, जाति जाट, निवासी लटियालों का बास, मेड़तारोड़, तहसील मेड़ता, जिला नागौर।
3. मोतीलाल पुत्र स्व. मांगूराम, जाति जाट, निवासी गांव जावली, तहसील मेड़ता, जिला नागौर।
4. संतोष पुत्री स्व. मांगूराम जी व पत्नी प्रकाश डांगा, जाति जाट, निवासी लीलियां, तहसील रियांबड़ी, जिला नागौर
5. चैना पुत्री स्व. मांगूराम व पत्नी छोटूराम, जाति जाट(जाजड़ा), निवासी जारोड़ा, तहसील मेड़ता, जिला नागौर।
6. प्रेम पुत्री स्व. मांगूराम पत्नी राजू जी खिचड़, जाति जाट, निवासी निम्बोला कलां, तहसील डेगाना, जिला नागौर।
7. तहसीलदार मेड़ता।

वाद बाबत घोषणा खातेदारी अधिकार विभाजन अन्तर्गत धारा 188, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक :–24.08.2018

Scanned by CamScanner

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वकील वादी ने दावा बाबत घोषणा खातेदारी अधिकार, विभाजन का पेश कर निवेदन किया कि वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 01 से 06 एक ही परिवार के सदस्य है। जो सम्पति के उत्तराधिकार के संबंध में हिन्दू विधि की मिताक्षरा पद्धति के बनारस शाखा से शासित होते है। वादी संख्या 01 स्व. मांगूराम पुत्र जालाराम, जाति जाट, निवासी की पत्नी, वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 03 पुत्र तथा प्रतिवादी संख्या 01, 02, 04 से 06 पुत्रीयां है। इनके अलावा स्व. मांगूराम के दो पुत्र रामनिवास व रामकिशोर थे। मांगूराम व उनके दो पुत्र रामनिवास व रामकिशोर की हत्या गांव जावली में दिनांक 10.10.2007 को गया। उक्त रामनिवास व रामकिशोर अविवाहित थे। जिससे उनके कोई वंशज नही था। वादी संख्या 1 के पति मांगूराम जी की काश्त व कब्जा व खातेदारी के खेत गांव जावली तहसील मेड़ता जिला नागौर में स्थित है। जो उनके पिता की थी व मांगूराम जी के पिता के निधन के बाद भाईयों से बंट में प्राप्त हुई इन खेतों के खसरा नम्बर 17 रकबा 3.24 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम व खसरा नम्बर 18 रकबा 3.46 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय है। स्व. मांगूराम जी के निधन के बाद ये दोनों खेत वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 01 से 06 को उत्तराधिकार में प्राप्त हो गये। जिससे मांगूराम जी के स्थान पर इन दोनों खेतों पर वादीगण तथा प्रतिवादीगण संख्यां 01 से 06 काश्त करते हुए काबिज है जो बतौर खातेदार काश्त करते है। उपरोक्त दोनों खेत खसरा नम्बर 17 व 18 के अलावा वादी संख्या 02 व उसके भाई रामनिवास व रामकिशोर के खरीदसुदा, काश्त व कब्जा व खातेदारी अधिकार का खेत खसरा नम्बर 19 रकबा 3.46 हैक्टेयर किस्म बारानी दो गांव जावली में स्थित है। जो वादी संख्या 02 व उसके भाई रामनिवास व रामकिशोर ने जरिये रजिस्टर्ड बैचाननामा के दिनांक 04.01.2002 को खरीद किया। इसके पुराना खसरा नम्बर 545/10 है। वादी संख्या 02 व उसके भाई

Scanned by CamScanner

रामनिवास व रामकिशोर के द्वारा उपरोक्त खेत खरीद किये जाने के बाद वादी संख्या 02 व उसके भाईयों ने खेत का नामान्तरकरण अपने नाम करवाया व इस खेत खसरा नम्बर 19 पर काश्त करते हुए काबिज रहे व खेत पर वादी संख्या 02 का 1/3, रामनिवास का 1/3 व रामकिशोर का 1/3 हिस्सा रहा है। वादी संख्या 02 के भाई रामनिवास व रामकिशोर के अविवाहित होने से उनके कोई संतान नही थी तथा उनकी हत्या हो जाने के बाद उनके 1/3 व 1/3 अर्थात 2/6 हिस्से पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 08 की प्रथम अनुसूची के अनुसार वादी संख्या 01 उनकी माता होने के कारण इन खेतों में काश्त करते हुए काबिज है तथा वादी संख्या 01 उक्त रामनिवास व रामकिशोर की प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी है। जिससे इस खेत खसरा नम्बर 19 में 1/3 हिस्सा वादी संख्या 02 व 2/3 हिस्सा वादी संख्या 01 का बनता है। इन खेत खसरा नम्बर 17 व 18 व वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 से 06 को मांगूराम से उत्तराधिकार में प्राप्त हुए है, को लेकर भविष्य में किसी प्रकार का विवाद नही हो, जिससे आज से करीब एक वर्ष पूर्व मौखिक तौर पर वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 से 06 की उपस्थिति में विभाजन किया गया। जिसमें दोनों खेतों में वादी संख्या 02 व प्रतिवादी संख्या 03 के हक में 1/2 व 1/2 हिस्सा रखा गया तथा वादी संख्या 01 व प्रतिवादी संख्या 01, 02, 04 व 06 ने इन खेतों में अपना हिस्सा लेने से इंकार कर दिया व अपना हिस्सा वादी संख्या 02 व प्रतिवादी संख्या 03 के पक्ष में त्याग कर दिया। जिससे आज से एक वर्ष पूर्व से वादी संख्या 02 व प्रतिवादी संख्या 03 इन खेत खसरा नम्बर 17 व 18 पर 1/2 व 1/2 हिस्से पर काश्त करते हुए काबिज है। यहां यह प्रकृट करना आवश्यक है कि वादी के पिता के निधन के बाद राजस्व विभाग में पटवारी हल्का व प्रतिवादी संख्या 07 के यहां वादी संख्या 02 व प्रतिवादी संख्या 03 ने कई बार चक्कर लगाये व उनके पिता के स्थान

Scanned by CamScanner

पर उनके परिवार के सदस्यों का नाम अर्थात वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 से 06 का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने का निवेदन किया तथा इसी प्रकार खेत खसरा नम्बर 19 में रामनिवास व रामकिशोर के स्थान पर वादी संख्या 01 का नाम दर्ज कराने का निवेदन किया परन्तु राजनैतिक प्रभाव में आकर राजस्व विभाग के कर्मचारीयों ने वादीगण की निवेदन स्वीकार नही किया व नामान्तरकरण दर्ज नही किये। अंतिम बार दिनांक 11.05.2018 को वादीगण व प्रतिवादी संख्या 03 ने प्रतिवादी संख्या 07 के अधीनस्थ पटवारी हल्का डाबरियानी कलां व प्रतिवादी संख्या 07 को उक्त खेत खसरा नम्बर 17 व 18 में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 से 06 का नाम स्व. मांगूराम जी के स्थान पर राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने व उक्त मौखिक बंटवाड़ा के अनुसार 1/2 हिस्सा वादी संख्या 02 का व 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 03 दर्ज करने व खेत खसरा नम्बर 19 में वादी संख्या 02 का 1/3 हिस्सा व वादी संख्या 02 के भाई रामनिवास व रामकिशोर के स्थान पर वादी संख्या 01 का 2/6 हिस्सा दर्ज करने का निवेदन किया तथा प्रतिवादी संख्या 07 व उसके अधीनस्थ पटवारी हल्का ने दर्ज करने से मना कर दिया व कहा कि राजस्व न्यायालय में वाद प्रस्तुत करके कार्यवाही करों। जिससे वादीगण यह वाद बाबत विभाजन व खातेदारी अध्यिाकार की घोषणा का करते है। उक्त मौखिक बंटवाड़ा के अनुसार खेत खसरा नम्बर 17 व 18 में 1/2 हिस्सा वादी संख्या 02 का व 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 03 के बंट का घोषित किया जाकर राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवाया जावें व खेत खसरा नम्बर 19 में वादी संख्या 02 का 1/3 हिस्सा व वादी संख्या 2 के भाई रामनिवास व रामकिशोर के स्थान पर वादी संख्या 01 का 2/6 हिस्सा घोषित किया जाकर दर्ज किया जाना आवश्यक है। यह अनुतोष यदि पारित नही किया जाता है तब वादी संख्या 02 व प्रतिवादी संख्या 03 अपने पिता से उत्तराधिकार में प्राप्त खेत खसरा

Scanned by CamScanner

नम्बर 17 व 18 से वंचित हो जायेगें तथा वादी संख्या 02 अपने मृत पुत्रों के खेत खसरा नम्बर 19 में उसका अधिकार 2/3 हिस्से पर बनता है। जिससे वंचित हो जायेगी। जिससे विभाजन व घोषणा की आज्ञप्ति पारित करने में किसी प्रकार की विधिक बाधा भी नही है। अतः अर्जीदावा के पैरा संख्या 12 अनुसार दावा डिक्री फरमाया जावें।

2. वादी ने अपने पक्ष समर्थन में मौजा जावली की जमाबंदी सम्वत् 2068 से 2071, खाता संख्या 218, 171, शपथ–पत्र प्रदीप चौधरी, ग्राम पंचायत डाबरियानी कलां द्वारा जारी मांगुराम पुत्र श्री जालाराम का उत्तराधिकारी प्रमाण दिनांक 16.05.2018, मांगुराम, रामनिवास व रामकिशोर के मृत्यु प्रमाण–पत्र, बैचाननामा विक्रेता भंवरलाल, क्रेता रामनिवास, रामकिशोर व प्रदीप, मौजा ग्राम जावली की जमाबंदी सम्वत् 2072 से 2075, खाता संख्या 196 व 243, नक्शा ट्रेस, गिरदावरी की प्रतियां पेश की।

3. दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन वास्ते जवाबदेही तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 6 की ओर से वकील श्री गणपतलाल परिहार ने वकालतनामा पेश किया तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 6 का इकबालिया जवाब पेश किया। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 6 ने राजीनामा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 7 बावजूद सम्मन तामिल दिनांक 13.08.2018 को अनुपस्थित रहने से एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गई।

4. विद्वान वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई जिसमें उनका मुख्य तर्क यह है कि प्रश्तगत भूमि पक्षकारान की पैतृक व संयुक्त परिवार की आय की है। जिसका पक्षकारान ने लोक अदालत की भावना से राजीनामा कर लिया है। अतः माफिक राजीनामा दावा डिक्री फरमाया जावें।

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान वकील पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया। वादग्रस्त भूमि का पक्षकारान ने लोक अदालत

Scanned by CamScanner

की भावना से राजीनामा कर लिया है। अतः माफिक राजीनामा दावा निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है।

आदेश

6.(1) मौजा ग्राम जावली के खसरा नम्बर 17 रकबा 3.24 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 18 रकबा 3.46 हैक्टेयर में वादी संख्या 2 का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 3 का 1/2 हिस्सा बंट व खातेदारी में रहेगा तथा मौजा ग्राम जावली के खसरा नम्बर 19 रकबा 3.46 हैक्टेयर में वादी संख्या 2 का 1/3 हिस्सा व वादी संख्या 1 का 2/3 हिस्सा बंट व खातेदारी में रहेगा।

7. प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4 से 6 ने वादीगण व प्रतिवादी संख्या 3 के पक्ष में अपना हक तर्क किया है, अतः हक तर्क की स्टाम्प ड्यूटी तथा बंटवाड़े की स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार मेड़ता यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो, अन्यथा आदेश नही हो, विधिक बाधा नही तथा भूमि रहन नही हो तो नियमानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद जाब्ता कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.08.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

हीरालाल मीना
उपखण्ड अधिकारी,
मेड़ता

Scanned by CamScanner